

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, बरहम भवन, भोपाल

::आदेश::

भोपाल दिनांक/5 दिसम्बर, 2004

क्रमांक एक 3-38/2008/20-2 राज्य शासन स्तर द्वारा श्री एम पी ताम्ब्यार, वन होत्रपाल को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के वर्गिष्ठ श्रेणी के तदनुसार रुपये 2000-2004-22200 में पदोन्नत करते हुए सहायक वन संरक्षक उप वन मण्डल देवसर(सा0) वन मण्डल पूर्ण सीधी के पद पर पदस्थ किया जाता है।

2- उक्त पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम 1968 के अंतर्गत दो वर्गों की परीक्षा अधिसूचना के लिए होगी।

3- प्रस्तावित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों) के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 21 सन् 1998) तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किस गैर अनुदेशों का पालन किया गया है।

4- यह पदस्थापना आदेश दिनांक 1-1-2006 से प्रभावशील रहेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(.मीनाक्षी मालवीया)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल दिनांक/5 दिसम्बर, 2004



क्रमांक एक 3-38/2008/20-2

प्रतिनिधि:-

1- विश्वोत्ता सहायक, मान0 मंत्रीजी, वन।

2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल

3- अवर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा0 राज0) एवं (प्रशा0 अराज0) सतपुड़ा भवन, भोपाल।

अराज0)

कृमशः

Handwritten signature and date '31/12'.

✓
(5) II (27)
(2) BD
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005

क्रमांक सफ 3-34/2004/10-1: राज्य शासन सतद द्वारा सर्वश्री नरेन्द्र सिंह, वन क्षेत्रपाल को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 8000-275-13200 में दिनांक 3 अगस्त, 2005 से पदोन्नत करते हुए सहायक वन संरक्षक, नीरादेही अभ्यारण्य, सागर के पद पर पदस्थ किया जाता है।

2/ राज्य शासन सतद द्वारा श्री आरं. एस. यदुवंशी, वन क्षेत्रपाल को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 8000-275-13200 में दिनांक 3 अगस्त, 2005 पदोन्नत करते हुए सहायक वन संरक्षक, अनुसंधान-एवं विस्तार केन्द्र, खण्डवा के पद पर पदस्थ किया जाता है।

3/ उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तों नियम 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होगी।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोकसेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 क्रमांक 21 सन् 1984 तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2002 के उपबन्धों और उप अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

मीनाक्षी मालवीय

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005

पृष्ठांकन क्र. सफ 3-34/2004/10-1
प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वन।
- 2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशा. राज. एवं प्रशा. अराज. भोपाल।
- 4- संबंधित वन संरक्षक, वन दृष्ट

1/2/1

5- वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र, खण्डवा ।

6- संबंधित वन मण्डलाधिकारी-.....

7- संबंधित अधिकारीगण- श्री

वन क्षेत्रपाल

द्वारा- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशा. अराज. & भोपाल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

मा
25/10/05
मीनाक्षी मालवीय
अवर सचिव

श्री
25/10/05

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

✓ (1) (25)
30

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 2005

क्रमांक एफ 3-34/2004/10-1: राज्य शासन द्वारा श्री एम. पी. मिश्रा, वन क्षेत्रपाल को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रुपये 8000-275-13200 में दिनांक 3 अगस्त, 2005 से पदोन्नत करते हुए तदधिक वन संरक्षक, उमरिया उत्पादन के पद पर पदस्थ किया जाता है।

2/ उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तों नियम 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होगी।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोकसेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 क्रमांक 21 तन् 1984 तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

मीनाक्षी मालवीय
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक एफ 3-34/2004/10-1
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 2005

- 1/ विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वन।
 - 2/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 3/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशा. राज. एवं प्रशा. अराज. भोपाल।
 - 4/ वन संरक्षक, रीवा/शहडोल वन वृत्त।
 - 5/ वन मंडल अधिकारी, संतला/शहडोल सामान्य वन मंडल।
 - 6/ संबंधित अधिकारी- श्री एम. पी. मिश्रा
द्वारा- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशा. अराज. भोपाल
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिसूचित।

मीनाक्षी मालवीय
अवर सचिव
30/9/05

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
भिलास, अरज, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर, 2003

सूचिका क्र 3-34/2004/10-1: राज्य शासन द्वारा श्री आर. पी. मिपाठी, वन विभाग को स्थानापन्न रूप में आयोगी आदेश तब कार्यालय प्रेषण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी केतनमान रुपये 8000-272-13200 में पदोन्नति करते हुए कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल पदस्थ किया जाता है।

2/ उपरोक्त पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा श्रेणी की सामान्य शर्तें नियम 1961 के अंगित को कार्य की परीक्षा अधि के लिए होगी।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा अधिनियम, 1994 अर्थात् 21 तम 1984 तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी शिष्ट शेष अनुदेशों का पालन किया गया है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ताक्षर

श्री मोनाधी मातवीय
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

सूचिका क्र 3-34/2004/10-1 भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर, 2003

प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री, वन।
- 2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
- 3- अवर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रमा. राज. 1 एवं प्रमा. अरज. 1, भोपाल।
- 4- संबंधित वन संरक्षक
- 5- संबंधित वन मंडलाधिकारी
- 6- संबंधित अधिकारी - श्री आर. पी. मिपाठी।

द्वारा- अवर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरज. 1 भोपाल
की ओर सुनार्य रूप आचर्यत कार्याधी हेतु अधि।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

कम प्रदेश शासन
वन विभाग
मजबूत, कल्लम मजबूत, गोपाल

// आदेश //

गोपाल, दिनांक-3 अगस्त, 2005

क्रमांक एफ.3-34/2004/10-1; राज्य शासन एतद्वारा विन्मोक्त वन क्षेत्रपालों को स्थापना रूप से आगामी आरंभ तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी के न्यूनतम रु 8,000-275-13,200 में पर्यन्त करते हुए उनके नाम के सम्बन्ध में निम्न प्रकार पद पर पदस्थ करता है:-

अंक	अधिकारी का नाम	संलग्न पदस्थापना	पदोन्नति उपरान्त नवीन पदस्थापना
15	श्री पूष्पा राज पुर्व	प0310 हरड (सा0), पूर्ण छिन्दवाडा (सा0) व0गं0	सहायक वन संरक्षक, स्वयं कनिष्ठ कालावाड पदोन्नति के लिये
17	श्री आर0 के0 तिवारी	विशेष कर्तव्य पूर्ण छिन्दवाडा (सा0) व0गं0	उप व0गं0अ0 वैहर (उत्पा0), व0गं0 उत्तर कालावाड (उत्पा0)
20	श्री एस0 पी0 सिंह	प0310 अमरवाटन (सा0), रातना (सा0) व0गं0	सहायक वन संरक्षक, एन्टी फॉरेस्ट रजवाड, रातना
18	श्री एस0 पी0 राजपाल	प0310 मिठार (सा0), शिवपुरी (सा0) व0गं0	संलग्न अधिकारी, सहजोल वृत्त कार्यालय 2005
10	श्री एस0 पी0 शुक्ला	प0310 गौरवी (सा0), पूर्ण सीधी (सा0) व0गं0	उप प्रकाशक, लघु कर्मचारी सेवा (प्रतिनियुक्ति पर)
3	श्री ए0के0 खरे	अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र शिवनी	सहायक वन संरक्षक, गेज सा0सा0 (शिवनी)
6	श्री डी0 सी0 व्यास	कार्य आयोजना उज्जैन	सहायक वन संरक्षक, पंच सा0उ0 (छिन्दवाडा)
22	श्री पी0 एस0 घाटे	प0310 सांसार (उत्पा0), छिन्दवाडा (उत्पा0) व0गं0	उप व0गं0अ0 खवारा (उत्पा0), व0गं0 दक्षिण शिवनी (उत्पा0)
16	श्री आर0 के0 श्रीवारत्तु	प0310 सरई (सा0), पूर्ण सीधी (सा0) व0गं0	संलग्न अधिकारी, सागर वृत्त कार्यालय
21	श्री सी0 के0 त्रिपाठी	अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र धार	सहायक वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र म्हालियर
11	श्री एस0 एस0 जैन	अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र झानुआ	अधीक्षक, बोरी अग्यारण्य होसंगावाड (सा0) व0गं0
10	श्री राघवेंद्र सिंह	प0310 महाराजपुर (सा0), पश्चिम गण्डला (सा0) व0गं0	उप व0गं0अ0 पूर्ण कालीगीत (सा0), व0गं0 खण्डवा (सा0)
4	श्री बी0 आर0 गवाडे	प0310 सिल्लेवानी (सा0), दक्षिण छिन्दवाडा (सा0) व0गं0	सहायक वन संरक्षक, एन्टी फॉरेस्ट रजवाड, सागर
23	श्री योगेश तिवारी	गेज रेंज कर्मचारी सेवा लाहौर रिजर्व शिवनी	अधीक्षक, बोरीसागर अग्यारण्य, गवसीर सा0 व0गं0
8	श्री के0 सी0 रावरीना	डिपॉ वेन्दूखेडा, रमोह (सा0) व0गं0	सहायक संचालक, संचालक संजय सा0उ0 सीधी
14	श्री पी0 के0 शर्मा	प0310 धूमा (उत्पा0), उत्तर शिवनी (उत्पा0) व0गं0	उप व0गं0अ0 टीकमगढ़ (सा0), व0गं0 टीकमगढ़ (सा0)
5	श्री सी0 पी0 शर्मा	प0310 साहपुरी (सा0), डिण्डोरी (सा0) व0गं0	उप व0गं0अ0 छिन्दवाडा (उत्पा0), व0गं0 छिन्दवाडा (उत्पा0)
13	श्री सी0 पी0 खरे	लघु कर्मचारी सेवा (प्रतिनियुक्ति पर)	उप प्रकाशक, लघु कर्मचारी सेवा (प्रतिनियुक्ति पर)

Resu

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदोन्नति पर स्थिति	पदोन्नति उपरान्त नवीन पदस्थिति
19	श्री नन्दम साधव	विशेष कर्तव्य अधिकारी इन्चार्ज (साठ) चोगा	उप चोगा उक्त (साठ), चोगा उत्तर बालाघाट (साठ)
20	श्री एलन जी	प०अ० चोरल (साठ), इन्चार्ज (साठ) चोगा	सहायक वन संरक्षक, आनंदखर १०३०, चोगा चोगा (प्रतिनियुक्ति पर)
21	श्री एलन कुने	प०अ० महाडमद (साठ), गुरेना (साठ) चोगा	उप चोगा उक्त (साठ), चोगा उक्त (साठ)
22	श्री ए० के० हजारी	अनुराधान विस्तार केन्द्र, जबलपुर	सहायक वन संरक्षक, अनुराधान ए० विस्तार केन्द्र, छतरपुर
23	श्री के० वी० तिवारी	प०अ० चनापुरा (साठ), होशंगाबाद (साठ) चोगा	सहायक वन संरक्षक, राजय वन अनुराधान संस्थान, जबलपुर (प्रतिनियुक्ति पर)
24	श्री एल० के० गुप्ता	गैम रेंज गौरा, राजय टायगर रिजर्व	सहायक वन संरक्षक, अनुराधान ए० विस्तार केन्द्र, होशंगाबाद

2 उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश शिथिल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिये होगी।

3 प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोकसेवा (अनुरूचित जातियों, अनुरूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (कमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोकसेवा (पदोन्नति) नियम, 2000 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेश का पालन किया गया है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
उप आदेश-नुराद.

(डी.डी. अग्रवाल)

उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक-3 अगस्त, 2005

पृष्ठसंख्यांक-34/2004/10-1

प्रतिलिपि- सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित:-

- 1 माननीय वन मंत्री जी / राज्य मंत्रीजी, वन के विशेष सहायक।
- 2 अपर मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग / उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण।
- 3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, रातपुड़ा भवन, भोपाल।
- 4 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), भोपाल।
- 5 प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम भोपाल।
- 6 प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल।
- 7 महालेखाकार, मध्य प्रदेश, जबलपुर।
- 8 संबंधित वन संरक्षक / वनमंडलाधिकारीगण।
- 9 संबंधित अधिकारीगण।
- 10 संचालक, जन संपर्क प्रबोध, मंत्रालय, भोपाल।
- 11 अभिलेख सहायक, वन विभाग कक्षा-1, 2, 3 एवं 4।

उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग

239
34
12 नही
12 रि
30

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

1 217
1 219A
2

// आदेश //

भोपाल, दिनांक /02/2005

क्रमांक एफ-03/127/2004/10-1 : राज्य शासन द्वारा श्री ओ. पी. शर्मा, वनदैवपाल को उनके कनिष्ठ श्री ए. के. मिश्रा की पदोन्नति दिनांक 08 अगस्त 2003 से सहायक वन संरक्षक के कनिष्ठ पेतनमान रुपये 8000-275 12500 में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है तथा आगामी आदेश तक अनुदेशक, वन विद्यालय अमरकंटक में पद पर पदस्थ किया जाता है ।

मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 के अधीन सुविधा प्रविष्टि करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टि रोस्टर पंजी में कर दो गई है ।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि म. प्र. लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 क्रमांक 21 तन 1994 तथा म. प्र. लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये आदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त उपबन्धों के धारा-6 की उपधारा 1 के उपबन्धों का संज्ञान है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ताक्षरः

डॉ. के. के. यादव
अवरसचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल दिनांक 7 फरवरी 05

पृष्ठ सं 3/127/2004/10-1

प्रतिलिपि-
01.

सचिव, म. प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर की ओर वनदैवपाल से सहायक वन संरक्षक के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.07.03 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

02.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म. प्र. भोपाल

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशा/राज/म. व. स. प्रशा/राज/भोपाल



वन संरक्षक (प्रशा. वन संरक्षक)
मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. वन संरक्षक)
भोपाल.

7.2.05

04. वन संरक्षक इंदौर/गण्डोल / म. प्र. ।

05. वन मंडलाधिकारी, इंदौर /गण्डोल / म. प्र. ।

06. संबन्धित अधिकारी श्री ओ. पी. शर्मा, वनक्षेत्रपाल की ओर पालनार्थ
07. & कृपया आप अपनी नवीन पदस्थापना पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करें।

08. विशेष सहायक, मा. मंत्रीजी वन विभाग,

08. स्टाफ फाइल

As per
& डॉ. के. के. यादव &
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

M. 5/2